कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– / 14–1, बरेली, दिनांक, 12 /नवम्बर/ 2019.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– **Proposal No. FP/UP/Others/26336/2017 (ii)- Name of Project for which Forest Land is required: Protected Forest Land Proposed to be diverted for service land road to Om Residency developed by Neostar Reality PvtLtd. And Rohilkhand Projects Ltd. On NH-30 (old NH-24) Bareilly Shahjahanpur Road in KM 67-68 in Bareilly District (iii). Short narrative of the proposal and Project/Scheme for which the forest land is required: 0.4368 Protected Forest land Proposed to the diverted for service land road to Om Residency developed by Neostar Reality PvtLtd. And Rohilkhand Projects Ltd. On NH-30 (old NH-24) Bareilly Shahjahanpur Road in KM 67-68 in Bareilly District.**

संदर्भः– आपका पत्राक 2488/11–सी–एफ.पी./26336/2017 दिनांक 28–06–2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम मे विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वर्णित स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वार स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04–09–2019 को किया गया था। तदोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 718/35–8 दिनांक 09–09–2019 के द्वारा प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली को भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29–01–2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये दोषी अधिकारियें एवं कर्मचारियें के विरूद्व कार्यवाही कर अभिलेख मांगे गये थे।

प्रभागीय निदेशक, वन एंव व्नय जीव प्रभाग, बरेली ने अपने पत्रांक 1912/145–1 दिनांक 25–11–2019 के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर आख्या अभिलेखों सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करयी गयी है। अतः प्रभाग स्तर से प्राप्त आख्या अभिलेखों सहित निम्न प्रकार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

1– प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली ने अवगत कराया है कि प्रयेक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन कर सम्पर्क मार्ग का निर्माण वर्ष 2013–14 में मिटटी भरान का कार्य किया गया था। वर्ष 2013–14 से वर्तमान तक वर्णित क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी तैनात रहे है तथा प्रभाग द्वारा उत्तरदायी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को कारण वताओं नोटिस जारी किये गये है।

अधिकारी/कर्मचारी का नाम		अवधि	अभियुक्ति
क्षेत्रीय वनाधिकारी–			
• श्री केवालानन्द जोशी	–	दिनांक 27.03.2013 से दिनांक 30.04.2016 तक	सेवानिवृत्त
• श्री आलोक शर्मा	–	दिनांक 01.05.2016 से दिनांक 08.10.2016 तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी
• श्री बनारसी दास	–	दिनांक 09.10.2016 से दिनांक 17.06.2018 तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी
श्री आलोक शर्मा	–	दिनांक 18.06.2018 से दिनांक 29.08.2019 तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी
• श्री मुकेश चन्द्र काण्डपाल	–	दिनांक 29.08.2019 से वर्तमान तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी

सेक्शन अधिकारी

• श्री संतोष कुमार,वनविद –	दिनांक 17.01.2008 से 30.06.2015 तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी
• श्री भास्कर पाण्डेय,उपराजिक	– दिनांक 01.07.2015 से 20.07.2017 तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी
• श्री मनोज कुमार,वनविद –	दिनांक 21.07.2017 से वर्तमान तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी
• **बीट प्रभारी**		
• श्री बंशीधर मिश्रा,वन रक्षक –	वर्ष 2010 से 26.07.2017 तक	सेवानिवृत्त
• श्री रतन लाल मौर्य,वनविद –	दिनांक 27.07.2017 से 01.10.2018 तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी
• श्री तनुज जोशी,वनविद –	दिनांक 02.10.2018 से वर्तमान तक	नोटिस/स्पष्टीकरण जारी

प्रभागीय निदेशक, बरेली ने यह भी अवगत कराया है कि श्री केवलानन्द जोशी तत्कालीन क्षेत्रीय वनाधिकारी तथा श्री बंशीधर मिश्रा तत्कालीन वन रक्षक सेवानिवृत्त हो चुके है तथा अन्य उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियों को प्रभागीय निदेशक, बरेली द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है। नोटिस पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न की जा रही है।

2. प्रभागीय निदेशक, बरेली ने अवगत कराया कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने पर प्रयोक्ता के विरूद्व क्षेत्रीय वनाधिकारी फरीदपुर के स्तर से नोटिस जारी किया गया तथा उक्त अवैध रूप से बनाये गये सम्पर्क मार्ग को ध्वस्त कराकर भूमि को मूल स्वरूप में लाया गया। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 30 व 33 के अन्तर्गत रेंज केस सं0 05/फरीदपुर/2019–20 इजरा किया गया।

तत्पश्चात प्रयोक्ता द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रयोक्ता से प्रतिकर की धनराशि मु0 60,000.00 रू0 प्राप्त कर प्रभागीय निदेशक, बरेली ने अपने पत्रांक 1544/10–1, दिनांक 21.10.2019 के द्वारा केस को प्रशमित किया गया है। रेंज द्वारा जारी किया गया नोटिस, एच–2 केस, प्रतिकर की धनराशि प्राप्ति की ई–3 रसीद तथा प्रशमन आदेश की छाया प्रतियाँ संलग्न की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:– 1619 (1)/14–1, दिनाँकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, बरेली को उनके पत्रांक 1912/14–1 दिनांक 25–11–2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।